प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. ....154/2022............ दिनांक ......30.04.2022......

2.(i) अधिनियम.......... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें .... 7 ....
(ii) अधिनियम..धारायें...
(iii) अधिनियम.. धारायें...
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या..............581.............. समय ......2:50 Pm..........
(ख) अपराध घटने का दिन शुक्रवार दिनांक :– 29.04.2022 समय ....03.05 पीएम ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– तहसील कार्यालय सीकर के सामने रेडरोज स्कूल वाली गली सीकर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से पश्चिम दिशा में करीब 05 किलोमीटर
(ब) पता :– तहसील कार्यालय सीकर के सामने रेडरोज स्कूल वाली गली सीकर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री मोहनलाल
(ब) पिता / पति का नाम :– श्री बाबूलाल
(स) जन्म तिथि / वर्ष :– 25 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी गांव सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर ....

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री भीमसिंह, उम्र–48 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गांव तारपुरा पुलिस थाना दादिया जिला सीकर हाल पटवारी पटवार हल्का सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....................................
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 7,000 रूपये........................

11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

सेवामें श्रीमान् उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी सीकर। विषय :– रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरा चाचा श्री जगनाराम पुत्र श्री श्यामाराम निवासी सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर जो वर्तमान में विदेश रहता है। मेरे चाचा की पत्नी श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री जगनाराम ने माह अप्रेल 2022 में ग्राम चन्देलीका बास पटवार हल्का सिहोट बडी में खसरा संख्या 1036 / 561 रकबा 1.88 हैक्टयर के खातेदारों से 0.76 हैक्टयर भूमि कय की थी, जिसका अभी तक नामान्तरण नहीं खुला है। मेरी चाची श्रीमती सोहनी देवी ने मुझे उक्त भूमि के नामान्तरण खुलवाने के लिये कहा तो मै पटवार हल्का सिहोट बडी के पटवारी श्री प्रहलाद से मिला तो उसने नामान्तरण खोलने के 5000 रूपये देने की कही। उक्त बाते मैने मेरी चाची को को बताई तो उसने पटवारी के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही करवाने की कही। पटवार हल्का सिहोट बडी के पटवारी श्री प्रहलाद मेरी चाची के द्वारा कय की गई भूमि का नामान्तरण खोलने के लिये मेरे से 5000 रूपये रिश्वत के मांग रहा है। मेरी चावी व मै पटवारी को रिश्वत देना नहीं चाहते है और उसको रिश्वत लेते हुये रंगे

हाथों पकडवाना चाहते है। कानूनी कार्यवाही करें। भवदीय, मोहनलाल पुत्र श्री बाबूलाल, उम्र–25 वर्ष, जाति बलाई, निवासी सिहोट बडी पुलिस थाना धोद जिला सीकर। दिनांक 29.04.2022 मोबाईल नम्बर 9950333445, एसडी–जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस, कार्यवाही शुरू की जाती है, दिनांक 29.04.2022, एसडी–राकेश कुमार दिनांक 29.04.2022, एसडी–विनोद कुमार दिनांक 29.04.2022

कार्यवाही पुलिस

29.04.2022

10.30 एएम इस समय परिवादी श्री मोहनलाल पुत्र श्री बाबूलाल, उम्र–25 वर्ष, जाति बलाई, निवासी सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस जाकिर अख्तर के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री प्रहलाद पटवारी का तहसील कार्यालय सीकर के सामने दूकान पर बैठना तथा श्री प्रहलाद पटवारी हल्का सिहोट बडी से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना में अंकित तथ्यो से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन से जैसी स्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। एसडी–जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस एसीबी सीकर।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत लेनदेन का बनना पाये जाने पर कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर उसे सुना गया तो टेप रिकार्डर में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। परिवादी मोहनलाल को टेप रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। टेप रिकार्डर श्री मूलचन्द कानि. को सुपुर्द कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के साथ श्री मूलचन्द कानि. को तहसील कार्यालय सीकर के सामने पटवारी के बैठने की दूकान की तरफ रवाना किया गया। उसी दिन बाद सत्यापन श्री मूलचन्द कानि. मय परिवादी श्री मोहनलाल उपस्थित कार्यालय आये। श्री मूलचन्द कानि. ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि " तहसील कार्यालय सीकर के पास पहूँच मैने परिवादी को टेप रिकार्डर चालू कर दे दिया तथा उसके वापिस आने पर टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया।" परिवादी श्री मोहनलाल ने बताया कि "तहसील कार्यालय के पास पहूँच मैने श्री मूलचन्द कानि. से टेप रिकार्डर प्राप्त कर तहसील के ठीक सामने पटवारी के बैठने की दूकान पर पहूँचा जहॉ पटवारी प्रहलाद मौजूद मिला जिससे मैने मेरी चाची के नामान्तरण खोलने की की तथा उसे रजिस्ट्री का फोटो कॉपी दे दी, तब पटवारी ने मेरे से नामान्तरण खोलने के बदले 7000 रूपये देने की कही," टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि हुई। परिवादी ने पटवारी को आज ही शाम तक उसे दूकान पर ही रिश्वती रूपये देने की कही।

तत्पश्चात कार्यालय खनि अभियंता सीकर से श्री राकेश कुमार वरिष्ठ सहायक एवं श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक को तलब किया जाकर कार्यालय में मौजूद परिवादी मोहनलाल का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री मोहनलाल ने हिदायत देने पर आरोपी श्री प्रहलाद पटवारी पटवार हल्का सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच–पांच सौ रूपये के 10 नोट तथा एक 01 नोट दो हजार रूपये का कुल 7000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 EM 456449
2–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 RG 215442
3–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 MK 741758
4–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 SW 793403
5–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 DL 897116
6–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 GP 780608
7–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 VD 894127
8–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 BB 942305

9–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 KE 790791
10–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 EH 892111
11–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 0 LL 866680

उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री अनिल कुमार एएओ से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री राकेश कुमार से परिवादी श्री मोहनलाल की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 7,000 रूपयों के नोट श्री अनिल कुमार एएओ से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांई जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री अनिल कुमार एएओ से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री अनिल कुमार एएओ के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री मोहनलाल को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी मोहनलाल, गवाहान श्री राकेश कुमार एवं श्री विनोद कुमार एवं कार्यालय स्टाफ के श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 107, कानि. चालक श्री सुरेन्द्र कुमार के ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन एवं मोटरसाईकल के सीकर से रवाना होकर तहसील कार्यालय सीकर के पास पहूँच वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी को पटवारी के बैठने की दूकान की तरफ रवाना किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के तहसील कार्यालय के आस–पास मुकिम हुआ। कुछ समय पश्चात ही परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आकर बताया कि पटवारी जिस दूकान में बैठता है, वह बन्द है, शायद पटवारी कहीं बाहर गया होगा, जिस पर समय करीब 2.41 पीएम पर आरोपी पटवारी की मौजूदगी का पता लगाने हेतु परिवादी की उसके मोबाईल नम्बर 9950333445 से आरोपी पटवारी के मोबाईल नम्बर 7976422173 पर वार्ता करवाई तो आरोपी पटवारी ने कुछ देर में ही तहसील कार्यालय आने की कही, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान पार्टी के तहसील कार्यालय के आस–पास मुकिम हुआ। समय करीब 2.51 पीएम तहसील कार्यालय सीकर के सामने मुख्य चौक पर सड़क किनारे परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में खडे मन् उप अधीक्षक पुलिस को एक व्यक्ति सोल्डर बैग लगाये अपनी मोटरसाईकल के पीछे परिवादी को बैठाकर तहसील के सामने वाली गली में जाता दिखाई दिया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने ट्रेप पार्टी सदस्यों को ईशारे से साथ लेते हुये मोटरसाईकल के पीछे–पीछे करीब 75 मीटर चला इतने में ही उक्त व्यक्ति ने मोटरसाईकल रोक ली तथा परिवादी मोटरसाईकल के नीचे उतर गया, इतने में ही मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उक्त व्यक्ति एवं परिवादी के आस–पास पहूँच गये, तब परिवादी ने मोटरसाईकल पर बैठे उक्त व्यक्ति को रिश्वती राशि देते हुये दिखाई दिया, उक्त व्यक्ति ने रिश्वती राशि अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रख ली, इस पर परिवादी ने टेप रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अपने पास मोटरसाईकल पर बैठे व्यक्ति कर तरफ ईशारा कर बताया कि "यही प्रहलादजी पटवारी है, जिन्होने अभी–अभी मेरे से 7000 रूपये बतौर रिश्वत के लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे है" इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने मोटरसाईकल पर बैठे उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम प्रहलादसिंह पटवारी पटवार हल्का सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर होना बताते हुये कहा कि "इसने ऐसे ही दिये है" मौके पर ही परिवादी ने श्री प्रहलाद सिंह पटवारी के कथनों का

खण्डन करते हुये बताया कि "ये झूँठ बोल रहे है, मेरी चाची श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री जगनाराम द्वारा क्रय की गई भूमि के नामान्तरण खोलने के लिये मैने इनसे बात की तो इन्होने मुझे 7000 रूपये देने की कही, आज जब मैने इनको तहसील कार्यालय के आगे 7000 रूपये देना चाहा तो इन्होने मुझे कहा कि रूपये यहाँ नहीं लूंगा और मुझे अपनी मोटरसाईकल पर बिठाकर तहसील के सामने रेडरोज स्कूल वाली गली में ले जाकर अपनी मोटरसाईकल रोक मुझे निचे उतार दिया तब मैने इनको 7000 रूपये दिये तो इन्होने रूपये अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लिये" रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी प्रहलाद सिंह पटवारी का बांया हाथ एवं श्री मूलचन्द कानि. ने आरोपी प्रहलाद पटवारी का दाहिनी हाथ कलाईयों के उपर से पकड़ लिये। मौके पर भीड–भाड को देखते हुये मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी पटवारी को उसी स्थिति में पकडे हुये करीब 75 मीटर पास स्थित तहसील कार्यालय सीकर पहूँच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई।

तत्पश्चात दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी प्रहलाद सिंह पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबीसा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी प्रहलाद सिंह पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देश देने पर आरोपी प्रहलाद सिंह पटवारी ने अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे पॉच–पॉच सौ एवं दो हजार रूपयों के नोटों की थेई निकालकर पेश की, जिनको गवाह श्री राकेश कुमार से गिनवाया गया जो कुल 7,000 रूपयों के नोट पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर समस्त कुल 7,000 हजार रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी प्रहलाद सिंह पटवारी को दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाकर उसको पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश करने की हिदायत देने पर उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट उतरवाकर पेश की। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी प्रहलाद सिंह पटवारी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब, जिसमें से रिश्वती राशि बरामद की गई, को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी–1 एंव पी–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी प्रहलाद सिंह पटवारी की पेन्ट की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट की पीछे की जेब में 10,770 रूपये पाये गये जिनके बारें में पूछने पर आरोपी प्रहलाद सिंह पटवारी ने स्वयं के होना तथा अपने घर से लाना बताया। उक्त 10770 रूपयों को बाद सन्तुष्टि आरोपी प्रहलाद सिंह पटवारी को सुपुर्द किया गया। आरोपी प्रहलाद सिंह पटवारी की उक्त पेन्ट बरंग निली की सामने की दाहिनी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क "ए" अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी प्रहलाद सिंह पटवारी हल्का सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर को परिवादी की चाची सोहनी देवी के नामान्तरण के बारे में पूछा तो आरोपी प्रहलाद सिंह पटवारी ने अपने सोल्डर बैग में से श्रीमती सोहनी देवी के नामान्तरण से संबंधित रजिस्ट्री की फोटो प्रति पेश कर बताया कि " इसने आज ही मेरे को रजिस्ट्री की फोटो प्रति दी है, ऑन लाईन मेरे पास नहीं आई है।" उक्त फोटो प्रति रजिस्ट्री जिस पर दिनांक 21.04.2022, पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 193 अंकित है, के मुख्य पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस ली गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क आर–1, आर–2, एल–1, एल–2, पी–1, पी–2, सील्ड रिश्वती राशि के कागज एंव सील्ड पेन्ट के पैकेट मार्क "ए" पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया।

उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती नोट पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री प्रहलाद सिंह पटवारी पटवार हल्का सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से तैयार किया गया।

मौके की कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी पटवारी को बाद स्वास्थ्य परीक्षण कोविड जांच करवाकर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस थाना उद्योगनगर में जमा करवाने हेतु श्री मूलचन्द कानि. एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक को हिदायत देकर जरिये सरकारी वाहन रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व जप्त शुदा वजह सबूत माल व रिकार्ड हमराह जरिये मोटरसाईकलों के रवाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहूँचा। प्रकरण से संबंधित वजह सबूत सुरक्षित हालत में श्री मूलचन्द कानि. के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया।

तत्पश्चात परिवादी मोहनलाल द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 29.04.2022 को आरोपी श्री प्रहलाद सिंह पटवारी पटवार हल्का सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसको उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी मोहनलाल ने स्वंय की व आरोपी श्री प्रहलाद सिंह पटवारी पटवार हल्का सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर की आवाजों की पहचान की है।

तत्पश्चात परिवादी मोहनलाल द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 29.04.2022 को आरोपी श्री प्रहलाद सिंह पटवारी पटवार हल्का सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसको उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "सी" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी मोहनलाल ने स्वंय की व आरोपी श्री प्रहलाद सिंह पटवारी पटवार हल्का सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर की आवाजों की पहचान की है। बाद कार्यवाही उपरोक्त परिवादी एवं गवाहान को रूखसत किया गया।

की गई कार्यवाही से आरोपी श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री भीमसिंह, उम्र–48 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गांव तारपुरा पुलिस थाना दादिया जिला सीकर हाल पटवारी पटवार हल्का सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री मोहनलाल से उसकी श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री जगनाराम द्वारा ग्राम चन्देलीका बास पटवार हल्का सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर में क्रय की गई भूमि का नामान्तरण खोलने करने की एवज में परिवादी से दिनांक 29.04.2022 को 7,000 रूपये रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 29.04.2022 को 7,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। उक्त श्री प्रहलाद सिंह पटवारी पटवार हल्का सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री प्रहलाद सिंह पटवारी पटवार हल्का सिहोट बडी तहसील धोद जिला सीकर के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(जाकिर अख्तर)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जाकिर अख्तर, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रहलाद सिंह, पटवारी, पटवार हल्का सिहोट बडी, तहसील धोद, जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 154/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1352-56 दिनांक 30.04.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-2, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशाक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सीकर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।